गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

इन्दिरापुरम योजना के शक्तिखण्ड–IV स्थित ग्रीन वैली–4 में ग्रीन बैल्ट (पार्ट–ए व बी) को विकसित करने एवं पौधा उत्पादन के कार्य को एक वर्ष के संचालन हेतु लाइसेन्स के अधार पर दिये जाने सम्बन्धी

विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र

नीलामी की दिनाँक
01 जनवरी 2021 एवं प्रत्येक शुक्रवार
(अवकाश छोड़कर)

नीलामी का समय
मध्यान्ह् 12:30 बजे

►नीलामी स्थल:◄
हिन्दी भवन, लोहिया नगर
गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना के शक्तिखण्ड–IV स्थित ग्रीन वैली–4 में ग्रीन बैल्ट (पार्ट–ए व बी) को विकसित करने एवं पौधा उत्पादन के कार्य को एक वर्ष के संचालन हेतु लाइसेन्स के अधार पर दिये जाने सम्बन्धी नियम व शर्तेः–

1. प्राधिकरण द्वारा इन्दिरापुरम योजना के शक्तिखण्ड–IV स्थित ग्रीन वैली–4 में 02 नग नसर्रियों को एक वर्ष की अवधि के लिए लाईसेंस पर दिया जा रहा है।

2. यह कि नीलामी पर दिया जा रहा ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी का कब्जा इस विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और नीलामीदाता को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो नीलामीदाता को उक्त निर्णय मान्य होगा।

3. यह कि नीलामी पर दिये जाने के लिए चयनित ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी का लैण्ड स्कैप/डेवलपमेन्ट प्लान पर प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

4. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी पर किसी प्रकार कोई स्थायी निर्माण अनुमन्य नही होगा तथा जो विकास के लिए साईट लेबलिंग, ड्रेसिंग, फूलों की क्यारियां, घास व पेड़–पौधों का रोपण, समस्त लैण्ड स्केपिंग, चार–दीवारी का निर्माण एवं पाथवे का निर्माण कार्य, के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधियां पार्क/ग्रीन बैल्ट पर अनुमन्य नही होगी।

5. यह कि नीलामीदाता नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी में किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए किसी को भी अधिकृत नही करेगा और न ही किसी को आयोजन हेतु देगा।

6. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी के विकास के लिए साईट लेबलिंग, ड्रेसिंग, फूलों की क्यारियां, घास व पेड़–पौधों का रोपण, समस्त लैण्ड स्केपिंग, चार–दीवारी का निर्माण एवं पाथवे का निर्माण कार्य करना नीलामी की तिथि से छः माह की अवधि में पूर्ण करना होगा, अन्यथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

7. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/ रोड़ साईड हरित पट्टी में पम्प का संचालन एवं उपयोग केवल पौधों की सिंचाई हेतु ही किया जायेगा, अन्य उपयोग अथवा टैंकर भरने की अनुमति नहीं होगी।

8. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड साईड हरित पट्टी में लगे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीलामीदाता की होगी।

9. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी के रख–रखाव व मरम्मत/अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी नीलामीदाता की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा, और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालन की अनुमति नहीं होगी, जिससे नीलामीदाता को पार्क का स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।

10. यह कि नीलामीदाता द्वारा ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड/राउण्ड एबाउट में सामान्य जनता के प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायेगा तथा नीलामीदाता की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रकार का अवरोध नहीं लगाया जायेगा।

11. यह कि नीलामीदाता द्वारा ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी पर स्थापित फाउण्टेन/अन्य गतिविधियों जो नीलामीदाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेंगी, उनका संचालन एवं रख–रखाव अपने खर्चे पर करना होगा।

12. यह कि नीलामीदाता द्वारा स्थल हस्तान्तरण के समय स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी तथा पौधों की गिनती करा कर दी जायेगी। नीलामी की अवधि समाप्त/निरस्त होने पर स्थल को उसी दशा में पौंधों की गिनती करा कर वापस करना होगा, जिसके लिए पुनः विडियोग्राफी करानी होगी।

13. यह कि नीलामी की अवधि समाप्त होने पर अवधि बढाये जाने हेतु उपाध्यक्ष गाजियबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद का निर्णय अन्तिम होगा। यदि अवधि आगे बढायी जाती है तो नीलामीदाता को अनुबन्ध विलेख निष्पादित कराना होगा।

14. यह कि नीलामीदाता व नीलामीकर्ता के मध्य कोई विवाद होने की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

15. नीलामीदाता, ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड के विकास एवं रख–रखाव कार्य नीलामीदाता की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप एवं पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा तथा ग्रीन क्षेत्र का उपयोग व्यवसायिक या किसी अन्य प्रयोजनों हेतु कदापि नहीं करेगा। यदि नीलामीदाता ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी का किसी अन्य प्रयोजन हेतु इस्तेमाल करता है या रख–रखाव ठीक से नहीं करता है तो हरित पट्टी की नीलामी निरस्त कर बिना किसी शर्त के वापस लेने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा।

16. नीलामीदाता के निर्णय के अनुसार यदि अन्य कोई विकास कार्य किया जाता है, तो प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकरण में योजना स्वीकृत कराकर ही विकास की कार्यवाही की जायेगी।

17. ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड पट्टी में स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण पूर्णतः वर्जित होगा। नीलामीदाता द्वारा हरित पट्टी की भूमि पर केवल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार विकास/रख–रखाव ही किया जायेगा। इस भूमि या इस भूमि के किसी भी अंश को किसी दूसरे को ट्रांसफर या सब–लीज या किसी दूसरे व्यक्ति/डिपार्टमेंट/संस्था को नीलामी पर देने की अनुमति नहीं होगी।

18. नीलामीदाता केवल अपना डिस्प्ले बोर्ड लगायेगा, जिसकी माप, स्थान तथा कलर स्कीम प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित करानी होगी एवं 5 एकड़ क्षेत्रफल तक के पार्क पर दो ही बोर्ड की अनुमति होगी। यह उल्लेखनीय है कि नीलामीदाता ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी की बाउंड्री वॉल/रेलिंग पर नीलामीदाता की अनुमति के बाद अपनी विज्ञापन पटिका लगा सकेगा।

19. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी की भूमि के विषय में समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश/निर्देश, नीलामीदाता को मानने होंगे तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

20. यह कि नीलामीदाता को इस स्थल में लगे वृक्षों की लाईट प्रुनिंग करने का इसके भाग की मिट्टी का मेन्टीनेन्स कार्यों में उपयोग करने एवं इस हरित पट्टी को सुचारू रूप से संचालन के पूर्ण अधिकार निहित होंगे। वृक्षों की हार्ड प्रुनिंग का अधिकार नीलामीदाता को नहीं होगा।

21. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी में किये जाने वाले विकास कार्यों का स्थल पर डिमार्केशन, नीलामीदाता द्वारा किया जायेगा। नीलामीदाता द्वारा पेड़, पौधों, झाड़ियों आदि को रोपित करने हेतु नीलामीकर्ता द्वारा जारी निर्देशों–गाईड लाईन्स का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

22. इस नीलामी की समाप्ति के उपरान्त इस स्थल पर लगे सभी विकास आदि की सामग्री, जिसमें नीलामीदाता द्वारा लगायी सामग्री भी शामिल है, किन्तु नीलामीदाता के द्वारा लगाये गये डिस्प्ले बोर्ड को छोड़कर नीलामीकर्ता की सम्पत्ति हो जायेगी।

23. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड साईड हरित पट्टी के रख–रखाव में विद्युत व्यय का खर्चा नीलामीदाता द्वारा वहन किया जायेगा। किसी वाद–विवाद की दशा में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

24. यह कि नीलामी पर दिये गये ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी हेतु निष्पादित नीलामी विलेख पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क नीलामीदाता द्वारा अदा किया जायेगा।

25. ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी एक वर्ष की अवधि हेतु संस्था को नीलामी पर दिया जायेगा तथा इसके लिए एग्रीमेंट भी इस अवधि तक ही लागू होगा। इस अवधि के उपरान्त रख–रखाव सन्तोषजनक रहने की दशा में यदि प्राधिकरण नीलामीदाता को ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी पुनः देने हेतु तैयार हो, तो इस हेतु अवधि निर्धारित कर उस अवधि के लिए पक्षकारों के मध्य पुनः अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध न होने की दशा में प्राधिकरण इस ग्रीन बैल्ट/रोड़ साईड हरित पट्टी का रख–रखाव स्वयं करेगा।

26. यह कि नीलामी पर दी गयी ग्रीन बैल्ट में पौध उत्पादन हेतु क्षेत्र का प्लान प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा, तथा रोड़ एवं ग्रीन बैल्ट के मध्य रिक्त भूमि को हरा–भरा रखना होगा।

27. यह कि नीलामी पर दी गयी ग्रीन बैल्ट में प्रत्येक वर्ष 500 वर्ग मी0 तक की नर्सरी को 5000 नग पौधे, 500 वर्ग मी0 से 1000 वर्ग मी0 तक की नर्सरी को 10000 नग पौधे, 1000 वर्ग मी0 से 1500 वर्ग मी0 तक की नर्सरी को 15000 नग पौधे तथा 1500 वर्ग0 मी से बडी नर्सरी को 20000 वृक्षों की पौध तैयार करनी होगी, तथा इन पौधों को प्राधिकरण को सरकारी दर से 10.00 प्रतिशत कम दर पर आपूर्ति करनी होगी।

28. नीलामीदाता द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क समय से जमा न करने अथवा एम0ओ0यू0/डीड की शर्तो का उल्लघंन करने पर प्राधिकरण द्वारा अनुबन्ध निरस्त करते हुए अपनी देयता का समायोजन धरोहर धनराशि से कराने के उपरान्त ही अवशेष धरोहर धनराशि वापिस की जायेगी।

29. अनुबन्ध की अवधि में जो भी Tax Liability यथा जी0एस0टी0, हाउस टैक्स, विद्युत बिल एवं अन्य करों की देयता अतिरिक्त होगी, वह द्वितीय पक्ष द्वारा ही देय होगा।

30. उच्चतम बोली पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।

31. प्रस्तावक को रू0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र धरोहर राशि डी0डी0 के रूप प्रस्ताव के साथ जमा करने होगे। सर्वोच्च बोलीदाता की उक्त धनराशि जमानत के रूप जमा रहेगी। यह राशि कार्य की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। यह धनराशि सर्वोच्च बोली की राशि में समाहित नही होगी।

32. प्रस्तावक को आयकर, पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा करानी होगी।

33. उच्चतम प्रस्तावक को 50 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक को बोली की 50 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा। यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 50 प्रतिशत धनराशि जमा नही की जाती है तो उसकी भी जमानत धनराशि जब्त करते हुए पुनः नीलामी कर एजेन्सी का चयन किया जायेगा।

34. अनुबन्ध निष्पादन के समय रू० 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) की जमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट विभाग में जमा करानी होगी, जो अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त संतोषजनक स्थिति में प्राधिकरण को कब्जा वापस हस्तगत करने पर अवमुक्त की जायेगी। बैक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नाम बनानी होगी।

35. यदि एजेन्सी द्वारा समय से पूर्व समर्पण (Surender) किया जाता है तो जमानत के रूप में जमा धनराशि रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) की एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।

36. . विवरण पुस्तिका अंकित शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुए नीलामी निरस्त कर दी जायेगी तथा पुनः नये एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया नीलामी द्वारा पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नही होगा।

37. नर्सरी में विद्युत आपूर्ति हेतु पॉवर कॉरपोरेशन से जारी विद्युत बिलों का भुगतान अनुबन्धकर्ता को स्वयं करना होगा।

38. निर्धारित अवधि तक देय धनराशि जमा न किये जाने पर नियमानुसार ब्याज देय होगा।

39. प्राधिकरण के अधिकारी किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के स्थल का निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

40. अनुबन्धकर्ता को लेबर सम्बन्धी समस्त नियमों का पालन करना होगा।

41. यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार गाजियाबाद नगर स्थित मा0 न्यायालय में निहित होगा तथा प्लेस ऑफ आर्बीट्रेशन भी गाजियाबाद नगर होगा।

42. Solid Waste Management Rules-2016 सहित पर्यावरण सुरक्षा सम्बन्धी समस्त नियमों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन करना अनुबन्धकर्ता का दायित्व होगा।

43. स्वीकृत निविदा/बोली की धनराशि (वार्षिक किराया) आवंटन की तिथि से एक माह के अन्दर जमा कराकर अनुबन्ध/लाईसेंस डीड निष्पादन कराने के उपरान्त स्थल का कब्जा दिया जायेगा।

44. अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन पाये जाने की स्थिति में प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को निरस्त करते हुए जमानत राशि को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जब्त कर सकता है तथा ऐसी स्थिति में अनुबन्धकर्ता को तत्काल स्थल का कब्जा संतोषजनक स्थिति में प्राधिकरण को वापस हस्तगत करना होगा।

45. यह कि किसी भी स्थिति में दोनों पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को सौंपा जायेगा, जिसे या तो वो स्वयं अथवा अन्य किसी व्यक्ति का आर्बीट्रेटर नियुक्त करके निर्णय देने हेतु निर्देशित कर सकेंगे तथा उक्त आर्बीट्रेटर द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य एवं विधिक रूप से प्रभावी होगा तथा उक्त पर दी आर्बीट्रेशन एण्ड कन्सीलीएशन एक्ट, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

46. कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत स्थल पर सोशल डिस्टेन्सिंग तथा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अनुबन्धकर्ता का कर्मचारी हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति, नर्सरी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। स्थल पर हैंड सैनीटाईजर आदि की समुचित व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित करनी होगी।

वित्तीय/आरक्षित दरें निम्न तालिकानुसार होंगीः–

क्र. सं.	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	न्यूनतम आरक्षित दर (रूपये में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्दिरापुरम	इन्दिरापुरम योजना के ग्रीन वैली–4 में ग्रीन बैल्ट को विकसित करने एवं पौधा उत्पादन के सम्बन्ध में। (पार्ट–ए)	1000.00	150.00 प्रति वर्गमी	1,50,000.00	50,000.00
2	इन्दिरापुरम	इन्दिरापुरम योजना के ग्रीन वैली–4 में ग्रीन बैल्ट को विकसित करने एवं पौधा उत्पादन के सम्बन्ध में। (पार्ट–बी)	1000.00	150.00 प्रति वर्गमी	1,50,000.00	50,000.00

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

शक्तिखण्ड–IV स्थित ग्रीन वैली–4 में ग्रीन बैल्ट (पार्ट–ए व बी) को विकसित करने एवं पौधा उत्पादन के कार्य को एक वर्ष के संचालन हेतु आवेदन–पत्र

आवेदन पत्र संख्या : ....
Application From No.

राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापति फोटो
Paste a passport size photp attested by GazettedOfficer/ Public Notary

1. आवेदक का नामः ....
   Name of the Applicant (in block letters)
2. पिता/पति का नामः ....
   Father/Husband's Name:
3. उम्र : ....
   Age:
4. पूरा पता :
   Full Address:
   ए. स्थायी पताः ....
   (a) Permanent Address
   बी. पत्र–व्यवहार का पताः ....
   (b) Correspondence Address
   सी. टेली फोन नं0 : .... मोबाईल नं0 : .... ई–मेल : ....
   (c) Telephone No./: Mobile No.: E-mail:
5. व्यवसायः ....
   Occupation:

आवेदित सम्पत्ति का विवरण
Particulars of Property

1. सम्पत्ति संख्याः ....
   Property Number
2. सम्पत्ति का क्षेत्रफलः ....
   Area of Property (sq. mts.)
3. योजना एवं ब्लॉक/सैक्टर : ....
   Name of the Colony & Sector
4. भुगतान प्लान का विकल्प (प्लान ए अथवा प्लान बी)ः ....
   Payment of the Plan adopted (Plan A or Plan B)
5. सम्पत्ति क्रय करने हेतु ऑफर (रु/वर्ग मीटर) (अंकों में)ः ....
   Offer for purchase of Property (Rs./sq.mt.) (in words)
6. धरोहर राशि रु.:........................ बैंक ड्राफ्ट सं. ....दिनांक ....बैंक........................
   Earnest Money Bank Draft No. Date Bank

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रुप में अपने/अपनी कम्पनी/संस्था/फर्म/ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आंवटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अर्न्तगत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख कराऊँगा।

I the undersigned being one fo the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as my be decided by the Authority.

दिनाँक ....
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर ....
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित ....
Countersigned by

(नीलामी अधिकारी)
(Officer conducting auction)

पदनाम ....
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

(नोट–धारा–1 (iii) के अनुसार भापथ–पत्र संलग्न किया जाना आव यक होगा)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

शक्तिखण्ड–IV स्थित ग्रीन वैली–4 में ग्रीन बैल्ट (पार्ट–ए व बी) को विकसित करने एवं पौधा उत्पादन के कार्य को एक वर्ष के संचालन हेतु आवेदन–पत्र

राजपत्रित अधिकारी / नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित फोटो

Paste a passport size photp attested byGazetted Officer/Public Notary

आवेदन पत्र संख्या : ....
Application From No.

1. आवेदक का नामः ....
   Name of the Applicant (In block letters)
2. पिता / पति का नामः ....
   Father/Husband's Name:
3. बोली स्वंय या कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट आदि द्वारा दी जा रही है।
   ए. यदि बाली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट में आवेदक का पद एवं. बोली दिये जाने हेतु एथोरिटी लैटर नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
   (a) If bid is offered for company, society, firm or trust, the status of person in that company society, firm or trust and authorization letter should be produced
   बी. यदि बाली कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट के लिए दी जा रही हो तो उक्त कम्पनी, सोसायटी, फर्म या ट्रस्ट का निबन्धन प्रमाण पत्र भी नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा।
   (b) If the bid is for company, society firm or trust its registration letter should also be produced
4. उम्र : ....
   Age:
5. पूरा पता :
   Full Address:
   ए. स्थायी पता : ....
   Permanent Address
   बी. पत्र–व्यवहार का पताः ....
   Correspondence Address
   सी. टेली फोन नं0 : .... मोबाईल नं0 : .... ई–मेल : ....
   Telephone No./: Mobile No.: E-mail:
6. ए. व्यवसाय : ....
   Occupation:
   बी. भुगतान पलान का विकल्पः ....
   Payment plan adopted:
   सी. आवेदित सम्पत्ति का विवरणः
   Particulars of Property:
   1 सम्पत्ति संख्याः .... 2. सम्पत्ति का क्षेत्रफलः ....
   Property Number: Area of property (Sq. mts.)
   3 योजना एवं ब्लाक / सेक्टर : ....
   Name of the Colony & Sector:
   डी. नीलामी का विवरणः
   1. नीलामी की तिथि ....
   Date of Auction
   2 जमा धरोहर राशि का विवरण ....
   Details of earnest money deposited
   3 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की रसीद संख्या........................ दिनांक ....
   G.D.A.'S receipt No Dated

मैं अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने इस नीलामी में एक आवेदक के रुप में अपने / अपनी कम्पनी / संस्था / फर्म / ट्रस्ट की ओर से उक्त सम्पत्ति के नीलामी द्वारा आंवटन किये जाने हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के नियम एवं शर्तों के अर्न्तगत आवेदन किया है। मैंने उक्त नीलामी हेतु प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विवरण पुस्तिका में उल्लिखित सभी नियम व शर्तों को भली प्रकार पढ़ एवं समझ लिया है एवं मैं इन सभी नियम व शर्तों से सहमत हूँ। मैं अवशेष मूल्य की धनराशि एवं अन्य धनराशि प्रोफार्मा पर निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करते हुए अपने स्वयं के व्यय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय में सम्पत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित कराऊँगा।

I the undersigned being one fo the applicants in the auction, as mentioned above and hereby apply on my behalf of the applicant above named to the Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad for allotment of the property described above, under the Ghaziabad Development Authority rules. I have read and understood all the condition mentioned in the brochure of tender and hereby unequivocally accept the same. I the intending purchaser(s) will pay the balance of the cost and other amounts and be executed with the sale deed in the prescribed form in accordance with the said conditions at my own cost within such period as my be decided by the Authority.

दिनाँक ....
Dated

आवेदक के हस्ताक्षर ....
Signature of the bidder

प्रतिहस्ताक्षरित ....
Countersigned by

(नीलामी अधिकारी)
(Officer conducting auction)
(नोट–धारा–1 (iii) के अनुसार भापथ–पत्र संलग्न किया जाना आव यक होगा)

पदनाम ....
On his/her own behalf/on behalf of the applicant

Cost ₹1100/-

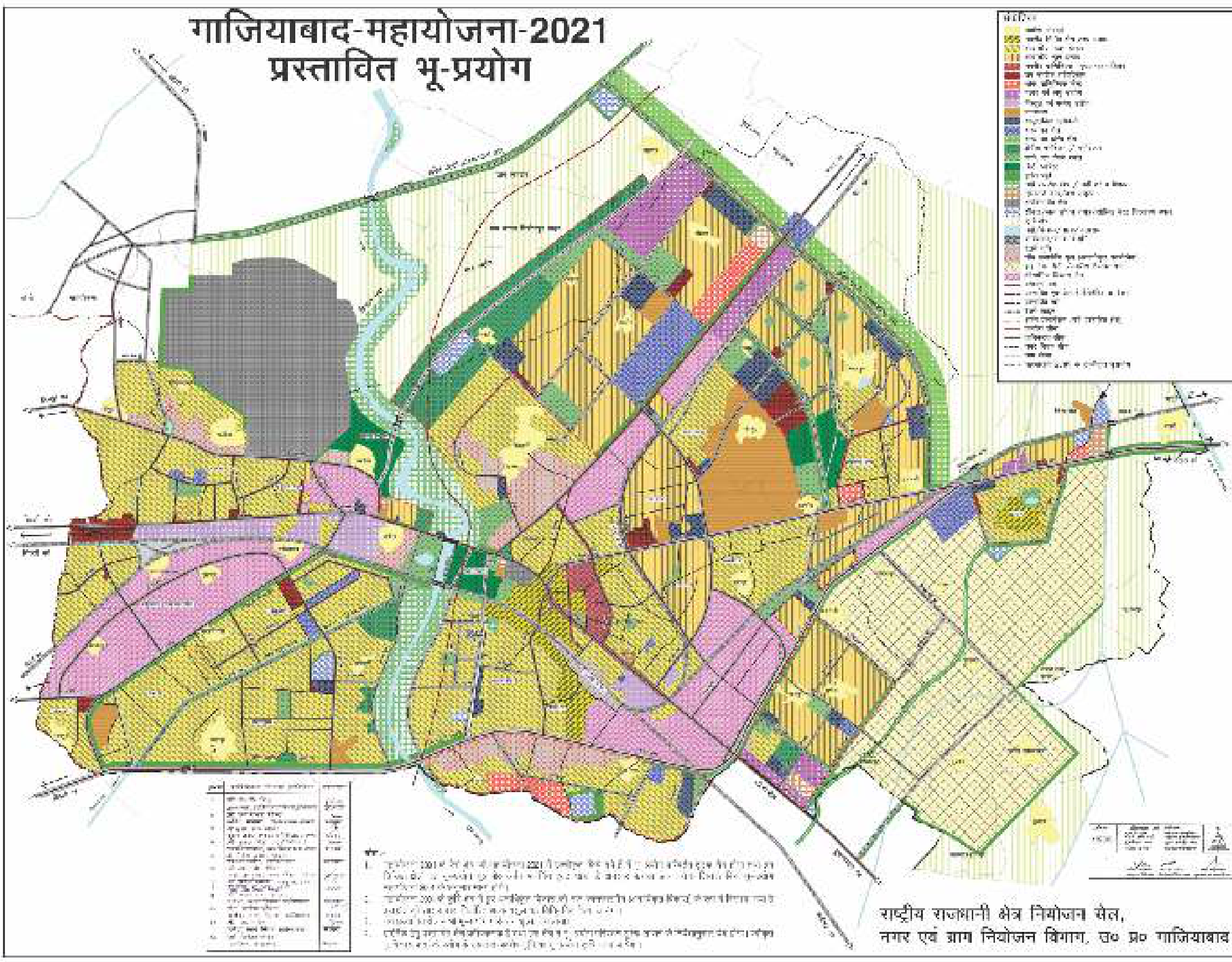

GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY

gda

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

I.S.O. 9001-2015 एवं I.S.O. 14001-2015 प्रमाणित संस्था

विकास पथ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

हेल्पलाइन न.: 0120-3342433 एस.एम.एस.: 9818988807

ई-मेल : helplinegda@gmail.com :@gdagzb :@gdagzb